INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

'' भारतीय राजनीतिक दलों का पुनर्गठन एवं प्रजातान्त्रिक मूल्यों का विकास ''

Dr. Rajpal Bhullar
Associate Prof in Political Science ,
D.A.V. College Naneola(AMBALA) Haryana.

प्रस्तावना :

भारत मे निर्वाचित शासन–प्रणाली द्वारा शासन करने की शुरुआत अंग्रेजी राज मे ही आरम्भ हो गई थी। ब्रिटिश शासन के भारत अधिनियम 1935 की धारा 201 मे चुनाव सम्बन्धी व्यवस्थाएँ थी। भारतीय संविधान निर्माता भी भारत मे प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को ही बनाए रखना चाहते थे। इसलिये डॉ भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा मे स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणाली तथा स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग का प्रस्ताव रखा। हमारे संविधान निर्माता निष्पक्ष एवं आदर्श चुनाव प्रणाली को लेकर बहुत चिंतित थे परन्तु राजनीतिक दलों का निर्माण, संगठन, संरचना तथा कार्यप्रणाली के सन्दर्भ मे मौन रहे जिसका दुष्परिणाम भारत की जनता गत 68 वर्षो से भुगत रही है।

भारतीय संविधान मे राजनीतिक दलों की कोई परिभाषा नही है केवल मौलिक अधिकारों सम्बन्धी अध्याय के अनुच्छेद 19–(1) मे लिखा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संगठन बनाने तथा किसी भी संगठन का सदस्य बनने के लिये स्वतन्त्र है। जनप्रतिनिधित्व कानून–1951 मे लिखा है कि प्रत्येक राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। गत छः दशकों मे हुये लोकसभा तथा विधानसभा चुनावो से भारतीय जनमानस मे यह सर्वसम्मति है कि सभी राजनीतिक दलों का चुनावो मे भाग लेने का एकमात्र उद्रदेश्य सता पर आसीन होकर धनार्जित करना है।

भारत मे कल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा जनता मे प्रजातंत्रीय मूल्यो का विकास अभी भी मात्र एक सपना ही है। विडम्बना यह है कि भारत के सभी राजनीतिक दलों मे आंतरिक प्रजातन्त्र वितिय पारदर्शिता का बेहद अभाव है। सभी राजनीतिक दल वंशवाद, अपराधीकरण, दल–बदल, धर्म–जाति सम्पुदाय के आधार पर वोटो का ध्रुवीकरण, कोरपोरेट धरानो तथा राजनीतिक दलों का अनैतिक गठबंधन तथा चुनाव मे काले धन का प्रयोग आदि अनेक बुराईयो से ग्रस्त है। भारतीय राजनीतिक दलों मे व्यापक तौर पर पाई जाने वाली उपरोक्त बुराइयो को ध्यान मे रखते हुये हम इस निष्कर्ष पर पंहुच सकते है कि भारत मे प्रजातन्त्र के स्थान पर कुलीनतंत्र, धनतंत्र, दलतंत्र एवं अल्पतंत्र कार्य कर रहा है।

प्रत्येक भारतीय के लिये यह एक विचारणीय प्रश्न है कि देश मे डिजिटल पेमेंट का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल स्वयं करोडो रुपये का चुनावी चंदा कैश मे लेते है। यही राजनीतिक दल देश की जनता को पारदर्शिता का पाठ पढाते है परन्तु स्वयं को सूचना के अधिकार से बाहर रखना चाहते है। देश की जनता को कानून व नियम सिखाने वाले राजनीतिक दल अपराधियों को चुनाव लडने के लिये अपना उम्मीदवार बनाते है। भारतीय मतदाताओ को वोट डालने के लिये ई0वी0एम0 का प्रयोग करने की सलाह देने वाले नेता स्वयं पैन और पर्ची से वोट डालते है। हरियाणा मे हुये राज्यसभा के चुनाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्थानीय स्वशासन ईकाइयो के लिये उम्मीदवार का कम से कम मैट्रिक पास होना तथा परिवार नियोजन की शर्त पूरी करना अनिवार्य है परन्तु देश की संसद और विधानसभाओ के सदस्य बनने के लिये ये शर्ते लागू नही है। स्पष्ट यह है कि भारतीय राजनीतिक दल न तो स्वयं मे प्रजातांत्रिक व नैतिक मूल्यो का विकास कर पाए और न ही देश की जनता में।

राजनीतिक दलों की अप्रजातांत्रिक तथा विधटनकारी सोच से स्वयं गांधी जी भी चिन्तित थे। गांधी जी का विचार था कि '' राजनीतिक दल लोगो को और समाज को आपस मे विभाजित कर देते है वे लोगो मे स्वतन्त्र रुप से सोचने की क्षमता को समाप्त कर देते है एक दल के लोग वही सोचते और करते है जो उनके दल के नेताओ द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत मे हिन्दूओं और मुसलमानों मे द्वेष पैदा करने मे स्वार्थी राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ''

इसलिये गांधी जी ने स्वतंत्रता के तुरन्त पश्चात कांग्रेस के विधटन की बात कही थी उनका विचार था कि ' कांग्रेस एक पार्टी न होकर एक आंदोलन था, जिसका एकमात्र उद्रदेश्य भारत को अंग्रेजी राज से मुक्त करवाकर आजादी प्राप्त करना था। सन 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस ने अपना यह उद्रदेश्य पूर्ण कर लिया। अतः अब इसे समाप्त हो जाना चाहिए। '

गांधी जी ने भारत मे दलतन्त्र तथा केन्द्रित शासन प्रणाली की अपेक्षा विकेन्द्रीत शासन प्रणाली का समर्थन किया था। उनका विचार था भारत नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यो पर आधारित समाज होगा जिसमे शासन की ईकाई ग्राम पंचायत होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत का चुनाव सर्वसम्मति से गांव की जनता द्वारा किया जाएगा। गांधी जी का सपना था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक जिम्मेदार एवं स्वतंत्र नागरिक होगा जो स्वशासित, स्वचालित तथा स्वपोषित समाज का निर्माण करेगा, जिसमे स्वतंत्रता, समानता व न्याय संबंधी प्रजातांत्रिक मूल्य समाहित होंगे। गांधी जी का यह सपना उनकी मृत्यु के साथ ही दफन हो गया और भारत मे संगठित दलीय प्रणाली द्वारा केन्द्रित शासन का आरम्भ हो गया जो लगातार छः दशको से जारी है।

गांधी जी के पश्चात भारतीय दल प्रणाली पर दूसरी चोट लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा सतर के दशक मे सम्पूर्ण क्रान्ति आंदोलन के दौरान की गई थी। जयप्रकाश नारायण राजनीतिक दलो को अप्रजातांत्रिक, अनैतिक तथा वंशवादी सोच से भली–भान्ति वाकिफ थे उन्होने तर्क दिया कि जो दल स्वयं प्रजातांत्रिक नही है उन्हे प्रजातंत्रीय प्रणाली के नाम पर शासन करने का कोई अधिकार नही है। उनका विचार था कि ' प्रजातंत्र महज एक प्रणाली न होकर एक संस्कृति है जो मानव, समाज एवं राष्ट्र के चरित्र तथा व्यवहार मे प्रकट होती है।' भारत की जनता मे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास नही हो पाया है क्योकि भारत के राजनीतिक दलों तथा उनके नेताओ ने कभी कोई प्रयास नही किया। उनका मानना था कि भारत के सभी राजनीतिक दल केवल एक या दो व्यक्तियो के नियन्त्रण मे कार्य करते है। दलों मे शामिल हजारों लाखों कार्यकताओ के विचारो का पार्टी के योगदान मे कोई महत्व नही होता। अतः प्रजातन्त्र के नाम पर दो–चार लोगो के विचार सम्पूर्ण देश पर थोप दिए जाए तो यह प्रजातंत्र न होकर अधिनायकतंत्र होगा। जयप्रकाश नारायण जी का यह भी मानना था कि पक्ष और विपक्ष के सभी नेता जनता की अपेक्षा अपने–अपने दलों के प्रति जवाबदेह होते है क्योकि चुनाव के दौरान उन्हे जनता से नही अपितु पार्टी से टिकट लेना होता है। दलों की उपरोक्त कमियो को ध्यान मे रखकर जयप्रकाश नारायण ने दलविहिन लोकतंत्र का विचार प्रस्तुत किया, जिसमे सभी चुनाव लडने वाले नेताओ को दलों की अपेक्षा समाज के प्रति जवाबदेह बनाया गया। समस्त राजनीतिक दलों ने जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए दलविहिन लोकतंत्र के विचार को अव्यवहारिक बताकर खारिज कर दिया।

1990 के दशक के पश्चात केन्द्रीय चुनाव आयोग तथा सिविल सोसाइटी की सक्रियता से भारत मे चुनाव सुधारो से सम्बन्धित कई कमेटियो का गठन किया गया, जिनमे 1990 मे गठित गोस्वामी कमेटी, 1993 वोहरा कमेटी, 1998 मे इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी तथा 199 मे विधि आयोग प्रमुख है। सभी कमेटियों द्वारा दिए गए सुझाव तथा एसोशिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफोर्म और नैशनल इलैक्शन वॉच (एन0जी0ओ0) द्वारा किए गए प्रयासो से भारतीय निर्वाचन प्रणाली मे कुछ सुधार अवश्य करवाए गए। इन सुधारो मे मुख्यतः चुनाव लडने वाले प्रत्याक्षियो को अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यो की सम्पति की धोषणा करना, चुनाव प्रचार की अवधि को 21 दिनो से कम करके 14 दिन कर देना, चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित कर देना, चुनाव खर्च का ब्यौरा नतीजे आने के 70 से 90 दिनो तक चुनाव आयोग को भेजना, चुनावो मे ईवीएम का प्रयोग तथा नोटा का ऑपशन देना इत्यादि।

भारतीय निर्वाचन प्रणाली मे किए गए उपरोक्त आंशिक सुधारो से भारतीय राजनीतिक दलों की वंशवादी तथा सांमतवादी सोच मे परिवर्तन होना असंभव है। भारत मे स्वस्थ जवाबदेह, पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक मूल्यो पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना के लिये आवश्यक है कि राजनीतिक दलों के वर्तमान संरचनात्मक ढॉचे को समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर राजनीतिक दलों का पुनर्गठन किया जाए। यह तभी सम्भव है कि जब केन्द्रीय चुनाव आयोग के अतिरिक्त भारतीय संसद द्वारा एक नई संस्था का गठन किया जाए जिसे भारतीय प्रजातन्त्रिय आयोग का नाम दिया जा सकता है। पंचायतो से लेकर संसद तक के चुनाव प्रबन्ध का कार्य चुनाव आयोग के अन्तर्गत हो, लेकिन राजनीतिक दलों के संगठन तथा कार्यो के संचालन की समस्त शक्तियां नवगठित भारतीय प्रजातंत्रिक आयोग के अधीन कर दिया जाए। भारतीय राजनीतिक दलों मे आंतरिक प्रजातंत्र की स्थापना तथा नैतिक मूल्यो के समावेश सम्बन्धी भारतीय प्रजातांत्रिक आयोग से निम्नलिखित कार्य अपेक्षित है:–

1.भारत के सभी 6 राष्ट्रीय, 51 राज्य और 1687 पंजीकृत दलो को नए सिरे से अपना पंजीकरण भारतीय प्रजातांत्रिक आयोग के पास करवाना अनिवार्य कर दिया जाए। पंजीकरण करवाने वाले सभी दलों को पुरानी शर्तो के अतिरिक्त एक अन्य शर्त 5000 सदस्यो का होना अनिवार्य कर दिया जाए।

2. प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल की अपनी वैबसाइट हो जो भारतीय प्रजातांत्रिक आयोग के सीधे नियंत्रण मे हो। प्रत्येक वर्ष के प्रथम 3 महीने 1 जनवरी से 31 मार्च तक सभी दलों की सदस्ता प्राप्त करने की इजाजत हो। 18 वर्ष तक की आयु पूरी करने पर कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी दल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करने पर उसे आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो। सभी राजनीतिक

दलों की सदस्यता भारतीय प्रजातांत्रिक आयोग की देख–रेख मे प्रतिवर्ष अपडेट करनी अनिवार्य हो जिसमे मरने वाले लोगो की सदस्यता समाप्त कर दिए जाए तथा नए सदस्यो के नाम शामिल कर दिए जाए।

3. चुनावो मे को धन के प्रभाव को रोकने के लिये यह अनिवार्य हो कि भारतीय राजनीतिक दलों को 20 हजार रु (2 हजार रुपये बजट के बाद) तक दिया जाने वाला बेनामी दान की सुविधा समाप्त कर दी जाए। सभी राजनीतिक दलों का भारतीय प्रजातांत्रिक आयोग के साथ ज्वांइट अकाउंट खोला जाना चाहिए। वितिय पारदर्शिता बनाए रखने के लिये यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों को चैक द्वारा या डिजिटल तरीके से ही दान दिया जाए। सभी राजनीतिक दल चुनाव के दौरान अपने खर्च का भुगतान भी डिजिटल करे। प्रतिवर्ष भारतीय प्रजातांत्रिक आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सभी राजनीतिक दलों के फंड का ऑडिट करवाए।

4. भारतीय प्रजातांत्रिक आयोग के नियन्त्रण मे प्रजातांत्रिक विकास कोष का सृजन किया जा सकता है जिसमे भारत का कोई भी नागरिक दान दे सकता है। सरकार इस दान पर इन्कम टैक्स से छूट का प्रावधान भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार जनता पर Democratic Development cess भी लगा सकती है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस0वाई0कुरैशी का सुझाव है कि प्रत्येक राजनीतिक दल को प्राप्त किए गए वोट पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जा सकता है। मान लो एक राजनीतिक दल ने चुनाव मे एक करोड वोट प्राप्त किए तो उसे सौ रुपये प्रति वोट के हिसाब से 100 करोड रुपये का अनुदान प्रजातांत्रिक विकास कोष से दिया जा सकता है।

5. भारतीय राजनीतिक दलों मे आन्तरिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अनिवार्य है कि ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों के चुनाव भारतीय प्रजातांत्रिक आयोग की देख–रेख मे करवाए जाए।

6. भारतीय राजनीतिक दलो मे पाई जाने वाली परिवारवाद की प्रवृति के कारण आम कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव के लिये पार्टी टिकट प्राप्त करना लगभग असम्भव है। प्रत्येक विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव मे 30 से 35 प्रतिशत सीटो पर पार्टी के बडे नेताओ के परिवार के सदस्य कब्जा कर लेते है। इस समस्या के समाधान के लिए अनिवार्य है कि पार्टी की टिकट पाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपने चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित पार्टी सदस्यों से आंतरिक चुनाव द्वारा बहुमत प्राप्त करे। इस प्रक्रिया द्वारा सभी राजनीतिक दलों मे हाई कमांड कल्चर समाप्त होगी तथा सता का हस्तांतरण पार्टी के सदस्यों तथा कार्यकताओं मे होगा। इसके अतिरिक्त सभी दलों के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाए पार्टी प्रत्याशी बनने के लिये कम से कम 5 वर्ष से उस पार्टी का सदस्य हो।

उपरोक्त सुझाव और प्रावधानों से भारतीय समाज तथा राजनीतिक दलों में प्रजातांत्रिक मूल्यो जैसे स्वतन्त्रता, समानता और न्याय को बढावा मिलेगा। भारत की जनता राजनीतिक दलों तथा जनता के मध्य भावनात्मक लगाव होगा। सभी दलों मे आम कार्यकर्ता उच्च पदो पर सुशोभित होंगें, तभ भारतीय प्रजातन्त्र मे राजनीतिक दलों को नेताओ के नाम से नही अपितु नेताओं को राजनीतिक दलों के नाम से जाना जाएगा।

सन्दर्भ सूची

1. Dr. Durga Das Basu, Introduction to the Constitution of India 19th Edition Reprint 2004, wadhwa and company, Agra.
2. कौशिक डेका, चुनावी फंडिग और भ्रष्टाचार, इंडिया टुडे, 14 दिसम्बर 2016
3. शंकर प्रसाद तिवारी, भारत मे उपयोगिता की कसौटी पर अनिवार्य मतदान की संकल्पना, प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2015
4. Sushant Chandra, Parties not above Low, The Tribune, 4 January, 2017
5. डॉ एस0 वाई0 कुरैशी, वैधानिक दर्जे से कार्यवाही मे आएगी अडचन, दैनिक जागरण, 15 जनवरी 2017
6. हदयनारायण दीक्षित, बेदाग विधायिका की आस, दैनिक जागरण, 12 जुलाई 2013
7. हदयनारायण दीक्षित, चुनाव सुधार की राष्ट्रीय आकांक्षा, 22 अप्रैल 2011
8. डॉ गौरीशंकर राजहंस, चुनाव सुधार की आवश्यकता, दैनिक जागरण, 18 दिसम्बर 2009
9. संजय गुप्ता, राजनीतिक दलो पर अकुंश, दैनिक जागरण, 14 जुलाई 2013
10. त्रिलोचन शास्त्री, पार्टीयां और पारदर्शिता, दैनिक जागरण, 30 अगस्त 2015